भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1162
28.07.2025 को उत्तर के लिए

शोलापुर में वन्य जीवों की मौतें और जल प्रदूषण

1162. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) को 55 संरक्षित कछुओं की मौत के संबंध में फोरेंसिक जांच पूरी करने, उनकी मौत का कारण प्रकाशित करने और उक्त घटना के लिए जिम्मेदार पाए गए किसी भी अधिकारी या प्रदूषणकर्ता को न्यायिक रूप से दंडित करने के लिए कोई निर्देश जारी किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार झील में मछलियों की मौत और इसके बार-बार संदूषित होने के इतिहास के मद्देनजर, जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत सीवेज डायवर्जन, ड्रेजिंग और रिपेरियन बफर रेस्टोरेशन सहित तत्काल पारिस्थितिकी संपरीक्षा और पुनर्वास कार्यक्रम के लिए अधिदेश देने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सिद्धेश्वर झील जैसे संरक्षित वन्यजीव आवासों में निरंतर जल-गुणवत्ता निगरानी प्रणाली स्थापित करने, वास्तविक समय प्रदूषण चेतावनी प्रणाली लागू करने और भविष्य में पारिस्थितिकीय त्रासदियों को रोकने के लिए मासिक सार्वजनिक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) और (ख) वन्यजीवों और उनके पर्यावासों की सुरक्षा और उनका प्रबंधन करना प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का उत्तरदायित्व होता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य वन्यजीव वार्डनों को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के उल्लंघन के मामले में उक्त अधिनियम के उपबंधों के तहत आवश्यक कार्रवाई करने की शक्ति प्रदान की गई है।

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) से प्राप्त सूचना के अनुसार, अप्रैल-मई 2025 माह में श्री सिद्धेश्वर मंदिर की झील में कछुओं और मछलियों की मौत की सूचना मिली थी। श्री सिद्धेश्वर झील पूरी तरह श्री सिद्धेश्वर मंदिर समिति की संपत्ति है और उक्त झील के अनुरक्षण का दायित्व मंदिर समिति का है। एमपीसीबी, सोलापुर नगर निगम सहित अन्य संबंधित प्राधिकरणों और महाराष्ट्र सरकार के वन विभाग तथा मत्स्य-पालन और पशुपालन विभाग द्वारा श्री सिद्धेश्वर मंदिर की झील और उसके आस-पास के क्षेत्र का निरीक्षण किया गया था।

एमपीसीबी ने श्री सिद्धेश्वर देवस्थान और सोलापुर नगर निगम को दिनांक 13.06.2025 को जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 33क के तहत झील की जल गुणवत्ता में सुधार हेतु समुचित उपाय करने का निदेश दिया। जिला पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक के अधिकारियों द्वारा सोलापुर नगर निगम (एसएमसी) के पशु-चिकित्सा अधिकारियों के साथ दिनांक 09 मई 2025 को मृत कछुओं का शव परीक्षण किया गया, जिसमें कछुओं की मौत के कारण का पता नहीं चल पाया। एमपीसीबी के निरीक्षण और झील की जल गुणवत्ता विश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार, विलीन ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम पाई गई थी और बीओडी/सीओडी (जैविक/रासायनिक ऑक्सीजन मांग) संबंधी मापदंड उच्च स्तर पर पाए गए थे। एसएमसी ने तात्कालिक आधार पर वातन फव्वारा प्रणाली शुरू की है। इसके अलावा, सोलापुर के कलेक्टर की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी और पीडब्ल्यूडी को अतिरिक्त वातन प्रणाली संस्थापित करने के निदेश दिए गए थे।

(ग) सरकार द्वारा झीलों के संरक्षण तथा जल प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण हेतु उठाए गए कदम नीचे दिए गए हैं :

- भारत सरकार ने जल निकायों के संरक्षण हेतु जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत किए गए विभिन्न उपबंध अधिनियमित किए तथा केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जलीय संसाधनों के प्रदूषण निवारण और नियंत्रण हेतु जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, दोनों के उपबंधों को क्रियान्वित कर रहे हैं।
- भारत सरकार ने जल निकायों में प्रदूषण के निवारण के उद्देश्य से पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के तहत सामान्य पर्यावरणीय मानक अनुबंधित किए।
- जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 18(1)(ख) के तहत दिनांक 21.04.2015 के पत्र द्वारा एसपीसीबी/पीसीसी को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में संबंधित एजेंसियों को सीवेज शोधन के लिए अवसंरचना विकसित करने का निदेश देने को कहा गया है।
- सीपीसीबी ने दिनांक 17.02.2023 के पत्र द्वारा सभी एसपीसीबी/पीसीसी से जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 17.1.(क) के उपबंधों के अनुसार संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थिर जल निकायों के प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण/उपशमन हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) के सहयोग से राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूएमपी) के तहत देश में झीलों पर 558 स्थानों सहित 4,736 स्थानों पर जलीय संसाधनों की जल गुणवत्ता की निगरानी करता है।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देश में आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन हेतु केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के बीच लागत सहभाजन आधार पर राष्ट्रीय जलीय पारिप्रणाली संरक्षण योजना (एनपीसीए)/2024 नामक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। इस स्कीम में अपशिष्ट जल का अवरोधन एवं शोधन, तटरेखा संरक्षण, स्व-स्थाने सफाई अर्थात गाद निकालना और अपतृण हटाना, तूफानी वर्षा जल का प्रबंधन, जैविक-उपचार, जलग्रहण क्षेत्र में वृक्षारोपण सहित जलग्रहण क्षेत्र का शोधन, सर्वेक्षण और सीमांकन, जैव-बाड़ लगाना, मत्स्य-क्षेत्र विकास, अपतृण नियंत्रण, जैवविविधता संरक्षण, शिक्षा एवं जागरूकता सृजन, सामुदायिक भागीदारी, आदि जैसे विभिन्न कार्यकलाप शामिल हैं।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) ने आर्द्रभूमि के पारिस्थितिक स्वरूप का संरक्षण, प्रबंधन और अनुरक्षण करने के लिए देश भर में आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के तहत आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017, विनियामक कार्यढांचे के रूप में अधिसूचित किए हैं। उक्त नियमों के तहत, अन्य बातों के साथ-साथ, ठोस अपशिष्ट को डम्प करने, उद्योगों, शहरों, नगरों एवं गांवों से अशोधित अपशिष्ट और बहिस्रावों के निस्सरण, आदि जैसे कार्यकलापों को प्रतिबंधित किया गया है। आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के उपबंधों के अनुसार, आर्द्रभूमि के संरक्षण और प्रबंधन का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरणों का होता है।

****